



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2019—फाल्गुन 20, शक 1940

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल दिनांक 11 मार्च 2019

संशोधित आदेश

फा.क्र. 01-MCMC-2019-4072.- भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 491-पेड न्यूज-2019-मीडिया दिनांक 27 अगस्त 2012 में दिए गए निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 01-MCMC-2019-2541, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुसार गठन किया गया था.

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 491-पेड न्यूज-2012-मीडिया दिनांक 25 फरवरी 2019 में दिए गए निर्देशानुसार राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

- i. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश - अध्यक्ष
- ii. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त एक प्रेक्षक - सदस्य
- iii. सहायक संचालक, जनसम्पर्क सोशल मीडिया प्रभारी - सदस्य
- iv. संयुक्त निदेशक, (न्यूज) आकाशवाणी, भोपाल - सदस्य
- v. निदेशक, (न्यूज) दूरदर्शन केन्द्र भोपाल - सदस्य
- vi. प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा नामांकित सदस्य - सदस्य
- vii. ब्यूरो चीफ, पी.टी.आई. भोपाल - सदस्य
- viii. ब्यूरो चीफ, यू.एन.आई, भोपाल - सदस्य
- ix. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश - सदस्य सचिव.

इस समिति द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 27 अगस्त 2012 के अंतर्गत गठित समिति एवं जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शिकायत/अपील की सुनवाई करके अथवा ऐसे प्रकरण जो स्वविवेक से समिति द्वारा लिये जाएं, विज्ञापन के प्रमाणीकरण अथवा पेड न्यूज के संबंध में निर्णय दिया जावेगा.

राजेश कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2019

संशोधित आदेश

फा.क्र. 01-MCMC-2019-4070.-भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 509-75-2004-JS-I, दिनांक 15 अप्रैल 2004 में दिए गए निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 01-MCMC-2019-2538, दिनांक 21 फरवरी 2019 से विज्ञापन प्रमाणन हेतु राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन समिति का गठन किया गया था.

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्र. 491-पेड न्यूज-2019-Communication दिनांक 25 फरवरी, 2019 के निर्देशानुसार विज्ञापन प्रमाणन हेतु राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- i. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश (निर्वाचन व्यय निगरानी) – अध्यक्ष
- ii. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश (निर्वाचन व्यय निगरानी) – सदस्य
- iii. सहायक संचालक, जनसम्पर्क सोशल मीडिया प्रभारी – सदस्य
- iv. सहायक निदेशक, (समाचार), दूरदर्शन – सदस्य
- v. कलेक्टर, भोपाल (रिटर्निंग अधिकारी) – सदस्य

इस समिति द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2004 के अंतर्गत राजनैतिक दलों और संगठनों द्वारा दिये गए आवेदनों के आधार पर विज्ञापन के अनुवीक्षण एवं प्रमाणन का कार्य किया जावेगा.

राजेश श्रीवास्तव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.